<u>प्रेस नोट</u>

<u>दीव में हेलमेट पहनना अनिवार्य</u>

दीव जिले में आए दिन हो रही दुपहिया मोटर वाहनों की दुर्घटना को देखते हुए आज फिर से समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव ने हेलमेट पहनने के निर्देश जारी किये हैं । दुपहिया मोटर वाहनों जैसे, मोटर साइकिल, स्कूटर, स्कूटी आदि चलाने वाले एवं चालक के पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है तथा इसका अनुपालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा । इस पर सख्ती से निगरानी रखने के लिए उन्होंने उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, दीव को निदेश दिये हैं ।

दीव में दुपहिया मोटर वाहनों की बढ़ रही दुर्घटनाओं एवं उसमें हो रहे जान-माल के नुकसान को काफी गंभीरता से लेते हुए समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव ने आम जनता से यह अपील की है कि वे अपने जीवन के महत्व को समझें । दुर्घटना में होने वाली असामयिक मृत्यु से सिर्फ एक व्यक्ति की ही मौत नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे पूरा परिवार बिखर जाता है । इसलिए हमें इस अनमोल जीवन के महत्व को समझते हुए इसकी सुरक्षा के उपाय स्वयं करने होंगे । शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर होता है और दुर्घटना के अधिकांश मामलों में मृत्यु का कारण सिर में गंभीर चोट का लगना होता है । इसलिए सिर की सुरक्षा हेतु हेलमेट पहनना अनिवार्य है । यदि आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएंगे तो कानून का पालन करेंगे और साथ-ही-साथ अपने जीवन को भी सुरक्षित रखेंगे ।